

क्रा.सं. - 175

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर गई
कार्रवाई टिप्पणी
आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

4/10/2020
मूल पंजी II / जमाबंदी पंजी एवं खतियान का अवलोकन किया गया।
खाता सं० 28 खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास भूमि है। नियमानुसार इस भूमि के
बंदोबस्ती के उपरांत लगान निर्धारण होने के बाद इसे बंदोबस्ती प्राप्त रैयत के नाम के साथ
पंजी II में अंकित किया जाना था परन्तु मौजा युवा की खाता सं० 28
की गैरमजरूआ खास भूमि को केवल बिहार सरकार (झारखण्ड सरकार) के नाम से अंकित
कर दिया गया है। इसे अवैध/संदिग्ध जमाबंदी नहीं माना जा सकता है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा
राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत मौजा युवा पर बिहार सरकार
(झारखण्ड सरकार) के नाम से कायम जमाबंदी को अवैध/संदिग्ध जमाबंदी नहीं मानते हुए
भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4h के तहत प्रारंभ की गई इस वाद की कार्यवाही बंद की
जाती है।

अंचल अधिकारी
तोसपा।

जमाबंदी वाद सं० :- 175

प्रश्नगत भूमि मौजा चुरगी खाता सं० 28 प्लॉट- सं० 2
रकबा 2.27 र.म. से संबंधित है। यह प्लॉट आर०एस० खतियान में रैयती खाते की भूमि
है। उक्त वाद में प्लॉट सं० 2 खाता सं० 38 (38) में

अंकित पाया गया। रैयती भूमि को अवैध नहीं माना जा सकता है।

अतः 4H की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।



राजस्व कर्मचारी



अंचल निरीक्षक